न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 66/2022 (जी.सी.एम.एस. 2022/96)

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1.वधावा राम पुत्र पेडाराम जाति कम्बोज निवासी श्रीगंगानगर।	1. घनश्याम दास पुत्र शोभाराम जाति कम्बोज निवासी 60 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 2. द्वारका प्रसाद पुत्र शोभाराम जाति कम्बोज निवासी 60 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 3. परमजीत कौर पुत्री जगतार सिंह जाति जटसिख निवासी 63 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 4. छिन्द्रपाल कौर पुत्री अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी 63 एफ। 5. बिन्द्रपाल कौर पुत्री अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी 63 एफ। 6. मन्द्रपाल कौर पुत्री अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी 63 एफ। 7. मनोहर लाल पुत्र ज्ञानचन्द जाति कम्बोज निवासी 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरनपुर। 9. उप–पंजीयक श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 06.05.2022

उपस्थितः 1.श्री रोशन लाल राठौड, कुलदीप सिंह, कुलविन्द्र सिंह अधिवक्ता वादी

--निर्णय-- **दिनांकः 10.09.2024**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 62 एफ, पटवार हल्का मुकन बी, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 100/91 के मुरब्बा नम्बर 37 की कुल 3.162 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि में से वादी के नाम 0.790 हैक्टेयर भूमि दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने काश्त की सहुलियत के लिए अपने-अपने हिस्सा की भूमि का वाहमी बंटवारा किया हुआ है। वादी को चक 62 एफ, पटवार हल्का मुकन बी, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 100/91 के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नं0 13/2 के 0.126 है0, किला नं0 14 के 0.253 है0, किला नं0 15 के 0.253 है0, किला नं0 16 के 0.158 है0 कुल 0.790 है0 भूमि वाहमी बंटवारा में प्राप्त हुई है, जिस पर वादी आज तक लगातार, शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। वादी की उक्त भूमि का विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है। वादी वाहमी बंटवारा में प्राप्त उक्त भूमि का विधिवत् विभाजन करवाना चाहता है, ताकि भविष्य में आने वाली परेशानियों से बचा जा सके, चूंकि मुश्तर्का खाता की भूमि में पानी की बारी, रास्ता, मुआवजा आदि को लेकर परेशानिया बनी रहती है, जिनके निवारण के लिए वादी खाता विभाजन करवाना चाहता है, जिसका वह अधिकारी है। दावा दायरी से दो रोज पूर्व वादी ने प्रतिवादीगण से अपने-अपने हिस्सा की भूमि का वाहमी बंटवारा अनुसार विधिवत् विभाजन करवाने को कहा तो प्रतिवादीगण ने स्पष्ट इन्कार कर दिया, इसलिए वादी को मजबूरन श्रीमान् जी के न्यायालय में दावा दायर करना पड रहा है, यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री सादर फरमाया जावेः-कि चक 62 एफ, पटवार हल्का मुकन बी, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 100/91 के मुरब्बा नम्बर 37 की कुल 3.162 हैक्टेयर भूमि में से मुरब्बा नम्बर 37 के किला नं0 13/2 के 0.126 है0, किला नं0 14 के 0.253 है0, किला नं0

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

15 के 0.253 है0, किला नं0 16 के 0.158 है0 कुल 0.790 है0 भूमि का खाता व लगान वादी के नाम अलग से कायम किए जाने के आदेश फरमावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 स्वंय उपस्थित आया। 1, 3 ता 7 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। काउन्टर क्लेम के अनुसार चक 62 एफ के खाता संख्या 100 के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 16, 17, 18 प्रत्येक 0.227 हैक्टेयर दक्षिणी हिस्सा, किला नम्बर 19 के 0.109 हेक्टैयर दक्षिणी हिस्सा, किला नम्बर 23, 24, 25 प्रत्येक में 0.126 हैक्टेयर उतरी हिस्सा, किला नम्बर 22 में 0.016 हैक्टेयर रकबा 1.185 हैक्टेयर भूमि व चक 62 एफ के खाता संख्या 48 के मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 1 की 0.228 हैक्टैयर, किला नम्बर 2,9,12,19,22 प्रत्येक सालम-सालम रकबा 1.517 हैक्टेयर दोनो खातो की कुल 2.702 हैक्टेयर भूमि का खाता व लगान अलग से प्रतिवादी संख्या 2 के नाम कायम किए जाने के आदेश फरमावे। नकल जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम वादी अधिवक्ता को दिलाई गई। वादी अधिवक्ता के द्वारा जवाब काउन्टर क्लेम बन्द किए जाने बाबत निवेदव किया। जवाब काउन्टर क्लेम बन्द किया गया। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। वादी अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र व काउन्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 2 डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी व प्रतिवादी संख्या 2 राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। वादी अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि चक 62 एफ, पटवार हल्का मुकन बी, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 100/91 के मुरब्बा नम्बर 37 की कुल 3.162 हैक्टेयर भूमि में वादी के हिस्सा में 0.790 हैक्टेयर भूमि व प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्सा में 1.185 हैक्टेयर भूमि आई हुई है व खाता संख्या 48 के मुरब्बा नम्बर 29 में प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्सा में 1.517 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान वादीगण अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस अधिवक्तागण, तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 2 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि चक 62 एफ, पटवार हल्का मुकन बी, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 100/91 के मुरब्बा नम्बर 37 की कुल 3.162 हैक्टेयर भूमि में वादी के हिस्सा में 0.790 हैक्टेयर भूमि व प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्सा में 1.185 हैक्टेयर भूमि आई हुई है व खाता संख्या 48 के मुरब्बा नम्बर 29 में प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्सा में 1.517 में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्सा की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	द्वारका प्रसाद पुत्र शोभाराम जाति कम्बोज निवासी 60 एफ तहसील श्रीकरणपुर। (2.702 हैक्टेयर)	62एफ	29	1	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.62
				2,9,12,19	1.012 हैक्टेयर	नहरी	7.20
				22	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.80
				10	0.024 हैक्टेयर	नहरी	0.17
			37	16	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.62
				17	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.62
				18	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.62
				19	0.110 हैक्टेयर	नहरी	0.78
				22	0.016 हैक्टेयर	नहरी	0.11
				23	0.126 हैक्टेयर	नहरी	0.90
				24	0.126 हैक्टेयर	नहरी	0.90
				25	0.126 हैक्टेयर	नहरी	0.90
2	वधावा राम पुत्र पेडाराम जाति कम्बोज निवासी श्रीगंगानगर(0.790 हैक्टेयर)	62 एफ	37	13/2	0.126 हैक्टेयर	नहरी	0.90
				14,15	0.506 हैक्टेयर	नहरी	3.60
				16	0.026 हैक्टेयर	नहरी	0.18
				17	0.026 हैक्टेयर	नहरी	0.18
				18	0.026 हैक्टेयर	नहरी	0.18
				19	0.080 हैक्टेयर	नहरी	0.57

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

(श्योराम (आर.ए.एस))
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 10.09.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(श्योराम (आर.ए.एस))
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर